आदिवासी विमर्श - स्वरुप

प्रा. डॉ. हणमंत महादेव सोहनी
हिंदी विभाग
सदाशिवराव मंडलिक महाविद्यालय, मुरगूड
तह. कागल, जिला कोल्हापुर

सारांश:-

आदिवासियों की सामाजिक दुर्दशा का प्रारंभ आर्यों द्वारा अनार्य आदिवासियों पर किये गए अन्यय अत्याचार यहीं से होता है| इसी त्रासदीपूर्ण घटनाओं के कारण आदिवासी समाज पिछड़ गए | उन्होंने त्रस्त होकर जंगलों का रास्ता पकड़ लिया | जंगलों में रहने के कारन लोग उन्हें असुर, राक्षस, पिशाच आदि नामों से पहचानने लगे | धीरे- धीरे लोगों के मन में आदिवासियों के बारे में भय निर्माण हुआ | अज की मानव संस्कृति की विविधता में नींव डालने का कार्य आदिवासी सामाजों ने किया है|

आधुनिक भारत की निर्मिती में जहाँ अन्य जातियों और समुदायों का योगदान रहा है, वहॉ आदिवासी जनजातियों का भी उतना ही योगदान है |

बीज शब्द- आदिवासी, साहित्य

प्रस्तावना :-

'आदिवासी' शब्द–अर्थ:-

आदिवासी शब्द का अर्थ अलग अलग शब्द कोशों में इस तरह से दिया गया है-

'बृहत् हिंदी कोश' में आदिवासी शब्द का अर्थ है, "किसी देश का मूल निवासी|"1 अर्थात् मूलनिवासी ही इस श्रेणी में आता है |

'मानक हिंदी कोश' में 'आदिवासी' शब्द का अर्थ दिया गया है -

1."किसी देश या प्रांत के वे निवासी, जो बहुत पहले से वहाँ रहते आये हों और जिनके बाद और लोग भी वहाँ आकर बसे हों |" अत: ये आदिम निवासी है |

2. आधुनिक भारत में उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश आदि में रहने वाली ओराँव, खरिया, पहाड़िया, मुंडा, संथाल आदि पुरानी जन-जातियाँ|"2 ये आदिवासी जन-जातियाँ हैं |

'नालंदा विशाल शब्दसागर' में आदिवासी शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है- "मूलनिवासी किसी प्रदेश या राज्य के मूल निवासी |"3 अर्थात् ये आदिवासी जन-जातियाँ ही मूल निवासी हैं |

'भारतीय संस्कृति कोश' में आदिवासी शब्द का अर्थ है– "ऐसे निवासी जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी हों और ऐसे निवासी जो प्राचीनतम निवासी हों| दूसरी कोटि के व्यक्तियों के लिए किसी क्षेत्र का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है |"4 अत: मूल या प्राचीनतम निवासी होना आवश्यक है |

'सहज समांतर कोश' में आदिवासी शब्द का अर्थ दिया गया है, "अदिम वासी, गोंड, टोडा, पुरातन जन, पुरानेवासी, प्रारंभिक वासी, भील, मुंडा, शबर, संथाल कबायली, गुहावासी, मूल आवासी, वनवासी |"5

आदिवासी शब्द के इन अर्थों के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी देश, प्रांत या समूह के वह निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते हैं | वे उस स्थान के मूल निवासी हों जिन्हें आदिवासी संबोधित करते हैं |

आदिवासी समाज का स्वरूप :-

आदिवासी लोग एक संघ होकर एक साथ रहते हैं | आदिवासी जनजातियाँ एक-दूसरे से भिन्न है | आदिवासी लोग अभावग्रस्त जीवन जीते हैं | आदिवासी लोगों की एक विशिष्ट प्रकार की बोली भाषा है | शिक्षा के अभाव के कारन आदिवासी जन जातियाँ अंधश्रद्धा, रूढ़िपरंपरा और संस्कृति आदि में जखड गई हैं | भारत जैसे विशालकाय देश में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, परंपरा आदि का प्रचलन है |

भारत में कुछ आदिवासी जनजातियाँ ये पाई जाती हैं - नागा, गोंड, खासी, संथाल, भील, मुंडा, थारु आदि | ये आदिवासी जातियाँ इन राज्यों में पायी जाती हैं- महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, झारखंड, बिहार, प. बंगाल और मैसूर इत्यादि |

मुगल शासन काल में 'सबसे पहले भूमि संबंधी आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था पर प्रहार किया गया | जहाँगीर के शासनकाल में सन् 1616 ई. में छोटा नागपुर पर चढ़ाई की | नागपुर के राजा दुर्जन को बंदी बनाया गया था | राजा की रिहाई के बदले उसे जहाँगीर ने कर देने पर विवश किया गया | राजा मजबूर होकर 'ईस्ट इंडिया कंपनी' को कर देने लगा | अतः जमीन पर कर वसूल करने की प्रक्रिया तब से शुरू हुई होगी ऐसा महसूस होता है।

भारत में व्यापार बढ़ाने के लिए ब्रिटिश शासकों ने अपनी सुविधा के लिए रेल लाइनों का जाल यहा के आदिवासियों के खेती पर बिछाना शुरु किया | वन-वृक्षों पर ब्रिटिश शासकों ने धावा बोल दिया | ब्रिटिश शासक जंगलों का कानून बना कर आदिवासियों का वनों पर जो अधिकार था वह धीरे-धीरे छिनने लगे | परिणाम यह हुआ की आदिवासियों की जमीने छिन गयी और वे भूमिहीन हो गए | भूमिहीन होने के कारन आदिवासी जनजातियों में आक्रोश भर गया | अपने अधिकार, अपनी जमीन और अपने अस्तित्व आदि को पाने के लिए आदिवासियों ने कई आंदोलन भी किए | आंदोलन करने वालों में कुछ प्रमुख नामों में संथाल हूल और बिरसा मुंडा आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा है |

आदिवासियों के आंदोलन के संदर्भ में रमणिका गुप्ता जी लिखती है, "राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ एक सशक्त सामाजिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के आंदोलन भी थे, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ झारखंड क्षेत्र में लड़े गए थे |"6 स्वतंत्रता के बाद आदिवासियों के मन में यह आशा जागृत हो गई थी कि अब हमे अपने अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उनकी आशा के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ | स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आदिवासियों की रक्षा करने की अपेक्षा अंग्रेजों द्वारा बनाए जंगल कानूनों को और भी सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया | अत: आदिवासियों का विस्थापन और पलायन होने लगा |

स्वतंत्रता की लड़ाई में आदिवासियों ने बहुत योगदान दिया था लेकिन आदिवासियों के नाम कहीं भी आगे नहीं लाए गए | उनके अधिकारों का भी हनन होता रहा | सरकार की इस कुट-नीतियों के कारण आदिवासी जमीन के मूल मालीक होकर भी मालिक बनने के बजाय मजदूर बनने पर विवश हो गए | आदिवासी लोग अपनी रूढ़ि-परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देकर सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन मजबूर होकर उन्हें अपनी संस्कृति से दूर रहना पड़ा | अत: उन्हें अपनी ज़मीन से जुड़ने नहीं दिया गया | आदिवासियों को हमेशा असभ्य, जंगली, अनपढ़, गवार कहकर हीन भावना से ग्रसित किया गया | सदियों से इन्हें खदेड़ा जा रहा है | इनके विकास की ओर ध्यान देने की अपेक्षा उनका शोषण होता रहा |

आदिवासियों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ी आशा की किरण प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु जी ने जगाई | उन्होंने आदिवासियों के विकास के लिये 'पंचशील' का प्रस्ताव दिया | पंचशील प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को महत्त्व दिया था कि आदिवासियों को अपनी प्रतिभा के आधार पर विकास करने का अवसर देना चाहिए | उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किए | प्रथम पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के विकास के लिए कार्य शुरू किया गया | परंतु अफसोस इस बात का है कि इन योजनाओं में किया जाने वाला आर्थिक व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ने के बजाय कम होता चला गया | वर्तामान काल में भी इस स्थिती में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता | आदिवासियों के विकास की योजनायों पर किया जाने वाला खर्च उत्तरोत्तर घटता चला गया | आदिवासी

कबीलों के अधिकारों के संरक्षण और उन्हें उनके अधिकारों को प्राप्त करवाने के लिए संविधान में समय -समय पर प्रावधान दिए गए हैं | सत्य यह भी है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन भी समय-समय पर होता रहा है |

संविधान निर्माताओं ने आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पाँचवी अनुसूची में यह कहा है कि, राज्यपाल अन्य बातों के साथ- साथ संविधान में अन्य किसी उपबंध के होने पर भी अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा सकेंगे | परंतु सच्चाई यह है कि कानून बना देना समस्या का हल नहीं है | सरकार ने कानून तो बना दिए परंतु उसे व्यावहारिक रूप से अमल में लाने के ठोस प्रयास नहीं किए गए | आदिवासियों की जमीनें इन कानूनों के होते हुए भी गैर मार्ग से हस्तांतरित होती रही | कानून तो बनाया परंतु अमल करनेवालों ने उसमें समय -समय पर गड़बड़ी कर दी | 'छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम,1908 का कहना है कि आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासी लोग नहीं खरीद सकते | आदिवासी सात वर्ष के लिए अपनी मर्जी से अपनी जमीन किसी को भी 'भुगुत-बंधक' के रूप में दे सकता है | उसकी जमीन पर कोई भी गैर-आदिवासी काबू नहीं कर सकता |

रमणिका गुप्ता लिखती है कि, "अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में यह कहा गया है कि आदिवासी भूमि के मालिक ने जो भूमि बंधक में दी है उसका उपभोग बंधकदार केवल एक अवधि विशेष के लिए कर सकता है परंतु वास्तविकता यह है कि अवधि समाप्त होने के बाद भी वह भूमि आदिवासी मालिक को वापिस नहीं दी गई |"7 अनेक प्रकार से एक्ट लागू होने पर भी आदिवासियों के शोषण का कोई अंत नहीं था |

बिरसा मुंडा आदिवासियों में मसीहा के रूप में प्रसिद्ध है | अपने समुदाय के पिछड़े लोगों को संगठित करने का पहला काम उन्होंने ही किया था | उनके हृदय में अपने अधिकारों को हासिल करने की चेतना इन्होंने ही जगाई थी | बिरसा मुंडा ने विद्रोह का बिगुल बजाया | बिरसा मुंडा के इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए पुलिस ने भी कई अत्याचार किए | अत: बिरसा मुंडा के आंदोलन को रोकना आसान नहीं था | बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए उनके समर्थकों में कुट नीति से फूट डाली गयी | सरकारी इनाम की लालच में आकर लोगों ने बिरसा की खबर दी गई जिसका नतीजा यह हुवा की पुलिस वालों को बिरसा मुंडा को पकड़ना आसान हो गया | आखिर बिरसा मुंडा को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया |

डॉ. चौहाण और डॉ. वणकर इस संबंध में लिखते हैं, "आत्मविश्वास, शोषण के सामने आवाज उठाना, अपने राज्य के लिए लड़ना, जमीन की मालिकी के लिए प्रतिबद्ध कार्य किये थे बिरसा ने |"8 बिरसा के आंदोलन की उपलब्धियाँ भी इतिहास में दर्ज हैं |

निष्कर्ष :-

बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो आंदोलन आरंभ हुआ था, उस आंदोलन की आज पुनः आवश्यकता महसूस हो रही है | बिरसा मुंडा का प्रस्तुत आंदोलन परिवर्तन लाने में सफल रहा है | आज राज्यों के मंत्रीमंडल, शासकीय, गैर शासकीयसेवाओं में भी आदिवासियों का समायोजन हो रहा है | आधुनिक यूग में वह आदिवासी नहीं हैं,जो डरे और सहमें हुए | तो वह अपने अस्तित्व, अधिकार आदि की रक्षा करने के लिए जन आंदोलन के रूप में एकसाथ उभरते हुए आदिवासी नजर आते हैं | आदिवासियों को जमींदारों, जमीन के हस्तांतरण, मानसिक, शाशीरिक और आर्थिक शोषण से मुक्त देने वाले कानून मौजूद हैं | प्रस्तुत कानूनों से आदिवासियों को कुछ हद तक राहत तो अवश्य मिली हैं, लेकीन अभी भी शासन के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है | आज आदिवासी वनवासी नहीं रहा है, जिसे आम लोग जंगली, अनपढ़ आदि कहकर उसका उपहास नहीं करते | आजका आदिवासी अब समाज का सशक्त नागरिक बनकर समाज में उभरने के लिए खड़ा है | आदिवासियों आज अपने हक्क और अस्तित्व की आधुनिक स्थिति को भोग रहे हैं | आदिवासियों में अपने साथ हुए भेद-भाव और अन्याय का बोध भी जगा है | परिणामत: आज आदिवासियों का अस्तित्व बहुत मजबुद बन गया है |

संदर्भ ग्रंथ:-

1. सं. कालिका प्रसाद - बृहत् हिंदी कोश पृ. 125
2. सं. रामचंद्र वर्मा - मानक हिंदी कोश, खंड -1 पृ. 264
3. सं. नवल - नालंदा विशाल शब्दसागर पृ. 126
4. लीलाधर शर्मा - भारतीय संस्कृति कोश पृ. 98
5. अरविंद कुमार, कुसुम कुमार - सहज समांतर कोश पृ. 121
6. सं. रमणिका गुप्ता - आदिवासी विकास से विस्थापन पृ. 42
7. सं. रमणिका गुप्ता - आदिवासी विकास से विस्थापन पृ. 16
8. सं. डॉ.धनंजय चौहाण, डॉ.धीरज भाई वणकर - भारतीय साहित्य एवं दलित चेतना पृ. 319